बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–वि०उ०–01–06/2006– 507/ई का /पटना, दिनांक– 04. अप्रैल, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष,
सभी क्षेत्रीय विकास परिषद्।

ईख पदाधिकारी–सह–सचिव,
सभी क्षेत्रीय विकास परिषद।

विषयः– **क्षेत्रीय विकास परिषद् के कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धान्त।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन), अधिनियम–1981 की धारा–7 के अन्तर्गत किया गया है। इसके कर्तव्यों का विवरण अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत किया गया है।

उक्त के आलोक में क्षेत्रीय विकास परिषद् के कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–वि०उ०–01–06/2006– 507/ई का /पटना, दिनांक– 04. अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–दखलकार/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य एवं राज्य से गन्ना क्रय करनेवाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–वि०उ०–01–06/2006– 507/ई का /पटना, दिनांक– 04 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–वि०उ०–01–06/2006– 507/ई का /पटना, दिनांक– 04 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

क्षेत्रीय विकास परिषद् के कार्ययोजना तैयार करने संबंधी मार्गदर्शिका

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

क्षेत्रीय विकास परिषद की कार्य योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शिका

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा–7 में (इलाका) क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा–8 में परिषद के दायित्वों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

1. **परिषद के कृत्य।**

परिषद के कृत्य निम्न हैं :–

(क) ऊख से संबद्ध संचार, सिंचाई, मृदा–विश्लेषण तथा अन्य कृषि सुविधाओं के विकास के लिये विचार करके कार्यक्रम तैयार करना।

(ख) विकास योजना की सभी तात्विक बातों के कार्यान्वयन के लिए उपाय और साधन ढूंढ निकालना, जिनके अंतर्गत संचार एवं ईख की किस्मों का सुधार और विकास, उन्नत बीजों, उर्वरकों और खादों की आपूर्ति, पौधा–संरक्षण एवं रोग और विनाशकारी कीड़ों की रोकथाम तथा नियंत्रण भी है।

(ग) ईख के कृषि विस्तार कार्य में सभी संभव सहायता देना

(घ) ईख की खेती के उन्नत तरीकों में कृषकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना।

(ड.) आरक्षित क्षेत्र के सामान्य विकास से संबंधित या उसके साधक अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

2. बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली 1978 की नियम–4 में निम्न प्रावधान है :–

(क) हर परिषद एक बजट तैयार करेगी और वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के कम–से–कम दो महीना पूर्व यह ईख आयुक्त के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ईख आयुक्त बजट को अपनी आलोचना के साथ, यदि कोई हो, अनुमोदित करेगा।

(ख) कोई भी व्यय नहीं किया जायेगा जब तक अनुमोदित बजट में उसे सम्मिलित नहीं किया गया हो, परंतु किसी अनुमोदित लागत में व्यय ईख आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) ईख आयुक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा उल्लिखित किसी लागत में परिषद की निधियों में से व्यय के लिए आदेश देगा। यदि उसके अनुसार ऐसा व्यय किसी विशेष परिस्थिति या परिषद द्वारा कुछ प्रभाव के कारण आवश्यक हो जाय।

(घ) ईख आयुक्त परिषद के किसी प्रस्ताव या निर्णय को उसके लिये कारण देते हुए अनुमोदित कर सकेगा।

3. क्षेत्रीय विकास परिषदों के कार्य योजना को तैयार करने के लिए समय–समय पर ईख आयुक्त द्वारा दिशा–निर्देश दिया गया है। वर्तमान में विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय विकास परिषद गठित/पुर्नगठित नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 में कतिपय क्षेत्रीय विकास परिषद से अधिसूचित किया गया है। क्षेत्रीय विकास परिषद के द्वारा सम्यक तरीके से कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता के

दृष्टिगत अधिनियम/परिनियम प्रावधानों के उद्येश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा कार्य योजना/वार्षिक बजट तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से विहित किया जाता है :–

3.1 क्षेत्रीय विकास परिषद 01 अप्रैल को उपलब्ध राशि के विरूद्ध वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा। उपलब्ध निधि में से 70 प्रतिशत राशि का व्यय विकास कार्यों के लिए तथा 20 प्रतिशत राशि आधारभूत संरचना के लिए एवं अधिकतम 10 प्रतिशत राशि स्थापना मद में व्यय किया जाएगा।

3.2 विकास संबंधी मदों में व्यय के लिए अनुमान्य मद निम्न प्रकार से होंगे :–

3.2.1 गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना में शामिल मद को यथावत् अतिरिक्त लक्ष्य के लिए कार्यक्रम में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसी प्रकार गन्ना यंत्रिकरण योजना अथवा गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना में क्षेत्रीय विकास परिषद में अतिरिक्त लक्ष्य की आवश्यकता है तो इसे कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है। इसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा कार्यान्वित शताब्दी निजि नलकूप के तर्ज पर निजि नलकूप की योजना स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्ययोजना में शामिल हो सकता है।

3.2.2 सिंचाई जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के तर्ज पर सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रींकल) कार्य मद को कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।

3.2.3 क्षेत्रीय विकास परिषद की कार्य योजना में सोलर इनर्जी/सोलर पम्पसेट की स्थापना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार (ब्रेडा) की योजना के अनुरूप कार्य मद को क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्य घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है।

3.2.4 उक्त के अतिरिक्त अन्य मद कार्य मद जो आवश्यक महसूस हो, उसे भी क्षेत्रीय विकास परिषद अपनी कार्य योजना में शामिल कर सकता है।

3.2.5 क्षेत्रीय विकास परिषद की योजना में कार्य घटक को स्पष्ट रूप को चिन्हित करते हुए इसकी इकाई लागत, अनुदान दर तथा कुल व्यय को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

3.2.6 क्षेत्रीय विकास परिषद के द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजना में लागू अनुदान दर को यथावत अथवा भिन्न अनुदान दर पर विचार किया जा सकता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन हो सके।

3.2.7 क्षेत्रीय विकास परिषद की कार्य योजना को लागू करते समय इसका पूर्ण ध्यान रखा जाय कि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित उसी घटक/लाभुक का उसी कार्य मद के लिए डुप्लिकेशन न हो, ताकि एक ही व्यक्ति एक ही कार्य मद का एक से अधिक योजना का लाभ नहीं ले सके।

3.2.8 कार्य योजना को तैयार करने मे स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र एवं जिला कृषि पदाधिकारी का सहयोग और परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

3.2.9 क्षेत्रीय विकास परिषद के लिए आई.टी का प्रयोग/वेबसाईट का विकास कार्य मद के रूप में शामिल किया जाय।

3.2.10 कार्य योजना को तैयार करने में विशेषज्ञ की सहायता भी ली जा सकती है तथा इन्हें देय मानदेय को भी कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।

3.2.11 जल संरक्षण/वृक्षारोपन का मद शामिल किया जा सकता है। विवरण के लिए कर्णांकित योजना में से लाभुक संबंधित मद में उस जिला में अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या के अनुसार कार्ययोजना शामिल किया जाय। इस हेतु विशेष कार्य मद/अतिरिक्त अनुदान पर परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है।

3.2.12 उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय विकास परिषद का कार्ययोजना निम्न रूप में तैयार किया जाय :–

(क) <u>क्षेत्रीय विकास परिषद् की सामान्य सूचना</u> :

(i) क्षेत्रीय विकास परिषद् का नाम –

(ii) संबंधित चीनी मिल का नाम –

(iii) संबंधित क्षेत्रीय विकास परिषद् कितना ग्राम आच्छादित है (जिला एवं प्रखण्ड के साथ) –

(iv) उक्त क्षेत्र में गन्ना की उत्पादकता –

(v) संबंधित चीनी मिल द्वारा विगत तीन वर्षो में गन्ना की पेराई की मात्रा –

(vi) क्षेत्रीय विकास परिषद् अंतर्गत कुल (क) कृषि योग्य क्षेत्र
(ख) गन्ना क्षेत्र
(ग) गन्ना उत्पादन।

(ख) <u>कार्ययोजना का लक्ष्य</u> :

उक्त के अलावे संबंधित चीनी मिल में जो कठिनाई है जैसे–गन्ना का उत्पादक बढ़ाने में, सामान्य समस्या जिसका हल क्षेत्रीय विकास परिषद् तत्काल करना चाहते हो उसको चिन्हित करें।

(ग) क्षेत्रीय विकास परिषद का बजट

(A) <u>गन्ना की वैज्ञानिक खेती हेतु हस्तक्षेप :– (बजट का 70%)</u>

क्र०	बजट का 70%	इकाई	यूनिट लागत	अनुदान	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
i.	बीज हेतु नर्सरी की स्थाना					
ii.	बीज वितरण हेतु अनुदान					
iii.	बीज उत्पादन पर अनुदान					
iv.	तकनीकी प्रत्यक्षण					
v.	अन्तवर्ती फसल					
vi.	फसल सुरक्षा					
vii.	प्रचार–प्रसार					

viii.	किसान प्रशिक्षण					
ix.	फसल स्तम्भन, रैटून मैनेजमेंट मृदा स्वास्थ्य					
x.	वृक्षारोपण					
xi.	अन्य कार्य मद / इनोवेटिव कम्पोनेंट (Innovative Componenet)					

(B) आधारभूत संरचनाः— बजट का 20%

i	सिचाई हेतु नलकूप					
ii	सूक्ष्म सिचाई (स्प्रींकलर)					
iii	सड़क					
iv	सोलर पम्पिंग सेट					
v	नये यंत्र को बढ़ावा					
vi	वाटर हार्वेसिंटग टैंक					

(C) स्थापना मद हेतुः— बजट का 10%

(घ) कार्यान्वयन पद्धति : लाभुक का चयन कैसे होगा। अनुदान भुगतान तरीका एवं समय का विवरण।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।